

दिनांक 25 जनवरी, 1994

संख्या पी0 सी0- 94/812- पंजाब अनुसूचित सड़कें तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबन्ध अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उप धारा (I) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियां तथा उन्हें सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट तथा इससे संलग्न नक्शों में दर्शाए गए गांव ग्वालियर, तहसील और जिला गुड़गांव के हनुमान मंदिर के आस पास के नियन्त्रित क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ नियन्त्रित क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं, अर्थात्:-

अनुसूची

गांव ग्वालियर, तहसील और जिला गुड़गांव के हनुमान मंदिर के आस-पास के नियन्त्रित क्षेत्र की सीमा-अनुसूची को ड्राईंग संख्या डी0टी0पी0 (जी) 442/93 दिनांक 18 जूलाई, 1993 के साथ पढ़ा जाए।

- उत्तर:** बिन्दु 'क' से शुरू करके अर्थात् गांव कुरकरौला की आयत संख्या 20 का उत्तर-पश्चिमी कोना, उसके बाद पूर्व की ओर आयत संख्या 20 की उत्तरी सीमा के साथ-2, इसके बाद दक्षिण की ओर आयत संख्या 20 की पूर्वी सीमा के साथ-2 इसके बाद पूर्व की ओर गांव कुकरौला की आयत संख्या 32 और गांव ग्वालियर की आयत संख्या 10 और 12 की उत्तरी सीमा के साथ-2, इसके बाद उत्तर की ओर गांव ग्वालियर की आयत संख्या 5 और मानेसर की आयत संख्या 175 की पश्चिमी सीमा के साथ-2 इसके बाद पूर्व की ओर गांव मानेसर की आयत संख्या 175 और 176 की उत्तरी सीमा के साथ-2 इसके बाद दक्षिण की ओर गांव मानेसर की आयत संख्या 176 की पूर्वी सीमा के साथ-2 बिन्दु "ख" तक, जहां यह गांव ग्वालियर की उत्तर-पूर्वी सीमा से मिलती है।
- पूर्वी:** तथा इसके बाद उत्तर-पूर्व और दक्षिण-पूर्व की ओर गांव ग्वालियर की पूर्वी तथा दक्षिणी सीमा के साथ-2 बिन्दु "ग" तक जहां।
- दक्षिण:** यह गांव ग्वालियर की आयत संख्या 80 की पश्चिमी सीमा से मिलती है।
- पश्चिम:** इसके बाद उत्तर की ओर गांव ग्वालियर की आयत संख्या 80,69,61,56,46,41,28 और 24 की पश्चिमी सीमा के साथ-2 और इसके बाद गांव कुकरौला की आयत संख्या 33,31 और 20 की पश्चिमी सीमा के साथ बिन्दु "क" तक अर्थात् प्रारम्भिक बिन्दु।

प्रदीप कुमार,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

206

HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN.31, 1994 (MAGHA 11, 1915 SAKA)

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Notification

The 25th January, 1994

No. PC-94/812- In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (i) of section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby declares the area around the Hanuman Mandir at village Gwalior, Tehsil and District Gurgaon as specified in the Schedule given below and shown in the plan appended hereto, to be a controlled area for the purposes of the said Act, namely:-

SCHEDULE

Schedule of boundaries of controlled area around Hanuman Mandir at village Gwalior, Tehsil and District Gurgaon to be read with Drawing No. DTP(G) 442/93, dated 18th July, 1993.

- North:** Starting from point 'A' i.e. north-west corner of Rect. No. 20 of village Kukraula, thence towards east along the northern boundary of Rect. No. 20, thence towards south along the eastern boundary of Rect. No. 20, thence towards east along the northern boundary of Rect. No. 32 of village Kukraula and Rect. No. 10 and 12 of village Gwalior, thence towards north along western boundary of Rect. No. 5 of village Gwalior and Rect. No. 175 of village Manesar, thence towards east along the northern boundary of Rect. No. 175 and 176 of village Manesar, thence towards south along the eastern boundary of Rect. No. 176 of village Manesar upto point 'B' where it meets with the north-eastern boundary of village Gwalior.
- East & South:** Thence towards north-east and south-east along the eastern and southern boundary of village Gwalior upto point 'C' where it meets with the western boundary of Rect. No. 80 of village Gwalior.
- West:** Thence towards north along the western boundary of Rect. No. 80, 74, 69, 61, 56, 46, 41, 28 and 24 of village Gwalior and further along western boundary of Rect. No. 33,31 and 20 of village Kukraula upto point 'A' i.e. the point of start.

PRADEEP KUMAR
Commissioner and Secretary to Government, Haryana,
Town and Country Planning Department.